

मुल वाद में अन्तिम डिक्री  
(व्य०प्र०सं०के आदेश 20के नियम 6 व 7)  
न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी, मुकाम निम्बाहेडा राज०

वीठासिन अधिकारी - चन्द्र शेखर भण्डारी आर०ए०एस०  
प्रकरण सं० 518/2018 वाद  
जीसीएमएस नम्बर 2018/00524

1. अमृतराम पिता जयचन्द जाति पूर्विया आयु 38 साल निवासी चांदखेडा  
तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....वादी

// वनाम //

1. जयचन्द पिता मांगीलाल जाति पूर्विया आयु 67 साल निवासी चांदखेडा।
2. मु०नाराणी बाई पत्नी जयचन्द जाति पूर्विया आयु 65 साल निवासी चांदखेडा।
3. सुखलाल पिता जयचन्द जाति पूर्विया आयु 35 साल निवासी चांदखेडा।
4. डाडमचन्द पिता जयचन्द जाति पूर्विया आयु 30साल निवासी चांदखेडा।
5. ओमप्रकाश उर्फ भाया पिता जयचन्द जाति पूर्विया आयु 28 साल निवासी  
चांदखेडा तहसील निम्बाहेडा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

.....प्रतिवादीगण

दावा- धारा 88,53, 209 रा०का०अधि०  
प्रकरण सं० 518/2018 आर०ओ०

वादी की और से अधिवक्ता श्री दौलतराम कुमावत, प्रतिवादीगण सं० 1 से 5 की  
और श्री सरफराज अहमद की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 02.05.2022  
को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता व  
डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त  
आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्से में निम्नानुसार रहेगी:-

1. श्री अमृतराम पिता जयचन्द पूर्विया सा० देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी:-  
आ०न० रकबा हेक्टेयर में  
383/163 0.24 हेक्टेयर  
164 मेंसे दक्षिणी भाग 0.37 हेक्टेयर  
183 मेंसे पश्चिमी भाग 0.22 हेक्टेयर

कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.83 हेक्टेयर

2. श्री जयचन्द पिता मांगीलाल, मु०नाराणी बाई पत्नी जयचन्द पूर्विया सा० देह के  
हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी -

आ०न० रकबा  
164 मेंसे उत्तरी भाग 0.10 हेक्टेयर  
168 मेंसे पश्चिमी भाग 0.10 हेक्टेयर  
217 मेंसे पश्चिमी मध्य भाग 0.20 हेक्टेयर

कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर

3. श्री सुखलाल पिता जयचन्द पूर्विया सा० देह के हिस्से में निम्न आराजी  
रहेगी:-

2/5

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)



आ०न०  
179  
180  
217

रकबा हेक्टियर में  
0.01 हेक्टियर ट्युबवेल  
0.64 हेक्टियर  
0.21 हेक्टियर

कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 हेक्टियर

4. श्री ओमप्रकाश उर्फ भाया पिता जयचन्द पूर्विया सा० देह के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी :-

आ०न० रकबा हेक्टियर में  
173 0.67 हेक्टियर  
168 मेंसे पूर्व दिशा का भाग 0.05 हेक्टियर

कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हेक्टियर


5. श्री डाडमचन्द पिता जयचन्द पूर्विया सा० देह के हिस्से में रही आराजीयात:-

आ०न० रकबा हेक्टियर में  
185 मेंसे पूर्वी भाग 0.16 हेक्टियर  
216 0.01 हेक्टियर ट्युबवेल  
217मेंसे पूर्व व दक्षिण दिशा 0.42 हेक्टियर  
399/215 0.24 हेक्टियर

कुल किता 4 कुल रकबा 0.83 हेक्टियर

तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वो डिक्री अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का अंकन वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 02.05.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (जिल्लाडगर)

